

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2685 /

जबलपुर, दिनांक 30/06/2022

II-14-53/22

कु. आरजू खण्डेलवाल, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को स्वयं का स्वास्थ्य खराब (Lower backpain & Jaundice) होने के कारण दिनांक 24.03.2022 से 02.04.2022 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03.04.2022 से 02.05.2022 तक 30 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार, जनरल

जबलपुर, दिनांक 30/06/2022

पृष्ठांकन क्रमांक A/2686 /

II-14-53/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/2273/स्था. ग्वालियर, दिनांक 20/05/2022 के संदर्भ में कु. आरजू खण्डेलवाल, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र, अनफिट-फिटनेश सर्टिफिकेट, चिकित्सा पर्ची की छायाप्रति एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.